वन मित्र कॉल सेंटर नं0. 9208008000

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

फोन / फैक्स: 013762 232077, ई मेल: dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्र संख्या: 625 / 12 – 1 (2) , नई टिहरी, दिनांक: सितम्बर 11 , 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नई टिहरी ।

विषय: जनपद टिहरी गढवाल में कैन्थाली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8 बी/यू.सी.पी./06/47/2015/एफ.सी./995 दिनांक 19–8–2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–583/ FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांक 19–8–2015

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल में कैन्थाली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। नोडल कार्यालय से दिनांक 10–9–2015 को दूरभाष से वार्ता के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–528/12–1(2)दिनांक 2–9–2015 को आंशिक संशोधन करते हुये सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्न प्रकार अनुपालन करने का कष्ट करें :–

1. भारत सरकार की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.94 हे0 ग्राम–घोघस सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक 19–8–2015 द्वारा संशोधित निर्धारित दरों के आधार पर देय धनराशि मु0 6,15,536.00 (छः लाख पन्द्रह हजार पांच सौ छत्तीस) रूपये वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा ।
2. भारत सरकार की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–घोघस तहसील–जाखणीधार, जिला–टिहरी गढवाल सिविल एवं सोयम वन भूमि क्षेत्रफल 2.94 हे0 को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा एवं इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा । उक्त कार्यवाही प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।
3. राज्य सरकार की शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 5–2–2009 में उल्लिख व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि 6.57 लाख रूपये प्रति हे0 की दर से मु0 9,65,790.00 (नौ लाख पैंसठ हजार सात सौ नब्बे) रूपये मात्र जमा किया जायेगा ।
4. नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु–4 में दिये गये निर्देशानुसार प्रयोक्ता विभाग कार्यवाही करेगा ।
5. भारत सरकार की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund,(CAF) Uttaranchal SB A/C No- 037100101025229 कारपोरेशन बैंक ,लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code- 110017007 ,एवं Branch Code-000371 है।

6. भारत सरकार की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, इस आशय की वचन वद्धता चार प्रतियों में प्रेषित करनी होगी ।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैंद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या/वचन वद्धता प्रमाण पत्र चार–चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर0पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या – / दिनांकित।

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरखण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर0 पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

Sri Rawat HO
11/9